न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–3 / 2023 (2023 / 20) वादपत्र

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कुसुमी पत्नि मांगीलाल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रकाशलाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. सोहनीदेवी पत्नि बेणीराम जाट निवासी केमूनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर– **अधिवक्ता वादीगण**

निर्णय

दिनांक 27.06.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 23.05.2023 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि ग्राम केमूनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 216 रकबा 0.11 है0 भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 31 / 1096 यानि संयुक्त रूप ये 93 / 1096 व वादी संख्या 4 का 455 / 1096 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर व रास्ते की भूमि को शामलाती रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.06.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण [illegible] को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से [illegible] है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार [illegible] जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः—3 / 2023 (2023 / 20) वादपत्र

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमूनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 681 में प्रस्तावित आराजी संख्या 216 / 2 रकबा 0.0150 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1 / 3 जाट, कसूमी पत्नि मांगीलाल 1 / 3 जाट, प्रकाश पुत्र मांगीलाल 1 / 3 जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 216 / 5 रकबा 0.0275 है0 भूमि मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाट सा. देह खातेदार एवं प्रसतावित आराजी संख्या 216 / 4 रकबा 0.0275 है0, आराजी संचया 216 / 3 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0425 है0 भूमि सोहनीदेवी पत्नि बेणीराम जाट सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 216 / 1 रकबा 0.0250 है0 भूमि सामलामी बदस्तुर रेकार्ड रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–3 / 2023 (2023 / 20) वादपत्र

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र मांगीला ल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कुसुमी पत्नि मांगीलाल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रकाशलाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. सोहनीदेवी पत्नि बेणीराम जाट निवासी केमूनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमूनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 681 में प्रस्तावित आराजी संख्या 216 / 2 रकबा 0.0150 है0 भूमि कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 1 / 3 जाट, कसूमी पत्नि मांगीलाल 1 / 3 जाट, प्रकाश पुत्र मांगीलाल 1 / 3 जाट सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 216 / 5 रकबा 0.0275 है0 भूमि मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाट सा. देह खातेदार एवं प्रसतावित आराजी संख्या 216 / 4 रकबा 0.0275 है0, आराजी संचया 216 / 3 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0425 है0 भूमि सोहनीदेवी पत्नि बेणीराम जाट सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 216 / 1 रकबा 0.0250 है0 भूमि सामलामी बदस्तुर रेकार्ड रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 27.06.2023 [illegible] कार्यालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)